# मध्यप्रदेश विधान सभा

अगस्त-सितम्बर, 2001 सत्र

## दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 7 सितम्बर, 2001 (भाद्र 16, 1923)

**समय 10.30 बजे दिन**

### 1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

### 2. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री रसाल सिंह, मुंशीलाल, अनूप मिश्रा, सदस्य, मुरैना जिले के ग्राम सकतपुर में पुलिस कर्मियों द्वारा गोलीचालन से उत्पन्न स्थिति की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री सुनील नायक, नरेन्द्र बिरथरे, नरोत्तम मिश्रा, सदस्य, छतरपुर जिले के नौगांव-झांसी मार्ग पर देवरी बंधा पुल की पथकर वसूली के ठेके देने में अनियमितता होने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) चौधरी राकेश सिंह, सर्वश्री रामपाल सिंह, करनसिंह पवार, सदस्य, धार जिले के छोटा जामनिया में एक आदिवासी की हत्या के अपराधियों पर कार्यवाही न किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) सर्वश्री खेमराज पाटीदार, प्रभाकर सिंह, मनोहर ऊंटवाल, सदस्य, धार जिले के अनेक ग्रामों में सोयाबीन की फसल में अफलन की स्थिति के संबंध में कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) डॉ. गौरीशंकर शेजवार, सदस्य, भोपाल शहर में लूट की अनेक घटनायें घटित होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) श्री रामप्रताप सिंह, सदस्य, सतना जिले के नागौद क्षेत्र में सड़कों के मरम्मत कार्य में अनियमितता होने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) श्री प्रभाकर सिंह, सदस्य, राज्य सड़क परिवहन निगम के सतना डिपो में कार्यरत कर्मचारियों को वेतन न मिलने से उत्पन्न स्थिति की ओर परिवहन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) श्री रामदयाल अहिरवार, डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य, छतरपुर एवं टीकमगढ़ जिले में पान की फसल नष्ट होने से उत्पन्न स्थिति की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, सदस्य, भोपाल के जहांगीराबाद स्थित बाल सुधार गृह से कई किशोरों के भागने के संबंध में समाज कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) श्री भूपेन्द्र सिंह, सदस्य, सागर जिले के ग्राम ताल ग्वारी निवासी एक आदिवासी युवक की रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा कार्यवाही न किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) श्री नित्यनिरंजन खम्परिया, सदस्य, जबलपुर जिले के सिहोरा क्षेत्र में हुई हत्याओं का पुलिस द्वारा सही तथ्यान्वेषण न किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(12) डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य, भोपाल के पिपलिया पेंदेखां में बिल्डर माफियाओं द्वारा अतिक्रमण किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(13) श्री भूपेन्द्र सिंह, सदस्य, सागर जिले में कराये गये ब्लास्टिंग कार्य में अनियमितता की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(14) सर्वश्री नरेश सिंह पटेल, रामपाल सिंह, सदस्य, रायसेन जिले के ग्राम आमछा स्थित जलाशय की दीवार क्षतिग्रस्त होने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(15) डॉ. सीतासरन शर्मा, श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, सदस्य, भिण्ड जिले के मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित सुप्रीम इन्डस्ट्रीज में अग्निकांड होने से उत्पन्न स्थिति की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(16) श्री मुंशीलाल, सदस्य, दतिया जिले के ग्राम बधेवरा हनुमानगढ़ी के महंत एवं नागरिक सहकारी बैंक के मैनेजर की हत्या होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

### 3. वर्ष 2001-2002 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, वर्ष 2001-2002 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन करेंगे.

**4. शासकीय विधि विषयक कार्य**

श्री हजारीलाल रघुवंशी, राजस्व मंत्री, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2001 (क्रमांक 16 सन् 2001) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

**5. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा**

मध्यप्रदेश में सड़कों की जर्जर हालत होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा का पुनर्ग्रहण.

**6. अशासकीय संकल्प**

निर्धारित समय

(1) सर्वश्री रमाकांत तिवारी, रामप्रताप सिंह, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

45 मि. "सदन का यह मत है कि प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा पांच हजार वृक्ष अनिवार्य रूप से लगाये जायें जिसके लिए पौधों की व्यवस्था वन विभाग द्वारा की जाये."

(2) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

20 मि. "यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि राजगढ़ जिले के ब्यावरा को विदिशा जिले के लटेरी एवं सिरोंज होते हुए बीना तक रेल मार्ग से जोड़ा जाय."

(3) श्रीमती प्रीति भार्गव, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगी -

40 मि. "सदन का यह मत है कि उज्जैन नगरी को हरिद्वार की तरह धार्मिक नगरी घोषित किया जाय."

(4) श्री पी.सी. शर्मा, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

45 मि. "सदन का यह मत है कि प्रदेश में शासकीय सेवा में कार्यरत् कर्मचारियों तथा कार्यभारित कर्मचारियों की आकस्मिक मृत्यु होने पर परिवार के या आश्रित सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति मृत्यु होने से तीन माह में दी जाय."

**डॉ. ए. के. पयासी**
**सचिव,**
**मध्यप्रदेश विधान सभा.**

**भोपाल :**
**दिनांक : 6 सितम्बर, 2001**